2.5 कृषि जोत से आशय

कृषि जोत की दो आधारो पर परिभाष्तिा कया जाता है-

2.5.1. भू-स्वामी की जोत (Owner or righte holder's holdings)—

किसी व्यक्ति को भू-स्वामी या भूमिधर, मौसमी काश्तकार या पट्टेदार के रूप में जितनी भूमि पर स्थायी और पैतृक अधिकार मिले, उसे भू-स्वामी की जोत कहते है ।

2.5.2. कृषि की जोत (Cultivator's holding)—

इसका आशय किसान द्वारा वास्तव में जोती जाने वाली जमीन से है ।

भूस्वामी की जोत तथा कृषक की जोत समान आकार की हो सकती है, अथवा भिन्न प्रकार की भी हो सकी हे । जब कोई भू-स्वामी अपनी कुल भूमि पर स्वयं ही खेती करता है तो भू-स्वामी के जोत और कृष जोत समान आकार वाली होगी। यदि भू-स्वामी अपनी सम्पूर्ण भूमि पर खेती न करके, उसमें से कुछ भाग लगान प उठा देता है और शेष पर स्वयं खेती करता हे तो भूस्वामी की जोत तथा कृषक की जोत का आकार अलग-अलग होगा ।

कृषि जोत की निम्नलिखित धारणाएँ हैं:-

(i) आर्थिक जोत (Economic holding)

(ii) पारिवारिक जोत (Family holding)

(iii) बुनियादी जोत (Basic holding)

(iv) आदर्श या अनुकूलतम जोत (Optimum holding)

(v) क्रियात्मक जोत (Operational holding)

(vi) अधिकतम जोत (Maximum holding)

(i) आर्थिक जोत (Economic holding)—कीटिंग्स का कहना है कि "आर्थिक जोत वह है, जो कि एक व्यक्ति को आवश्यक व्यय निकालने के पश्चात् उसे तथा उसके परिवार को उचित सुविधाओं सहित पर्याप्त उत्पादन का अवसर प्रदान करती है ।" कीटिंग्स आर्थिक जोत के अन्तर्गत 40 से 50 एकड भूमि को रखते हैं।

Scanned with CamScanner

कांग्रेस कृषि सुधार समिति (Agrarian reforms committee) के अनुसार " आर्थिक जोत वह है, जो--

(अ) किसान को रहन-सहन का उचित स्तर प्रदान करती हे ।

(ब) एक सामान्य आकार के परिवार तथा बैलों की एक जोड़ी को वर्ष भर रोजगार प्रदान करती है, तथा

(स) सम्बन्धित प्रदेश की कृषि-अर्थव्यवस्था के अनुरूप होती है।"

(ii) पारिवारिक जोत (Family holding) प्रथम पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में पारिवारिक जोत शबद का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ में किया गया है-"पारिवारिक जोत वह जोत है, जो स्थानीय परिस्थितियो के अनुसार तथा कृषि की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत एक औसत आकार वाले परिवार के लिए उसे सहायता सहित (जो कृषि कार्य में सामान्यत: उपलबध होती है) एक हल इकाई तथा एक कार्य इकाई के बराबर हो।" एक हल इकाई अथवा एक कार्य ईकाई का आशय उस क्षेत्रफल से हे जिसको एक किसान एक हल के प्रयोग मे ठीक प्रकार जोत और बो सके, अर्थात् इतना छोटा भी न हो कि एक किसान और एक हल को पूरा कार्य न मिल सके और आकार इतना बड़ा भी न हो कि एक किसान (अपने परिवार के सदस्यों सहित) एक हल सहित उस पर पूरी तरह से खेती न कर सके। कुछ विचारको के अनुसार, आर्थिक जेात ओर पारिवारिक जोत को एक दूसरे का पर्यायवाची माना जा सकता हे ।

(iii) आदर्श या अनकूलतम जोत (Optimum holding)—आदर्श या अनुकूलतम जोत का अर्थ उस अकितम आकार से है, जिस पर परिवार का स्वमित्व होना चाहिए । पारिवारिक जोत की तीन गुना जोत अनुकूलतम जोत कही गई है । जोत के आकार की अधिकतम सीमा के निर्धारण के मूल में यह विचार काम कर रहा है कि जोत की ऊपरी सीमा उस स्तर तक नियत कर दी जाय, जहाँ तक उस एक परिवार का स्वामित्व स्वीकार किया जा सकता है । बागों तथा इख के खेतों आदि को उपयुक्त व्यवस्था के अपवाद के रूप अग रखना होगा। उनके अनुकूलतम आकार को निधारण करते समय यह बात ध्यान में रखनी होगी कि उत्पादन की मात्रा में कमी न हो जाय। दूसरे शब्दों में, बागीचों और ईख के फार्मों की जमीन के संदर्भ में अनुकूलतम जोत उसे कहा जायगा जिस पर उत्पादन की नई तकनीक की सीमा में रहते हुए भूमि, श्रम और पूँजी का कुशलतम उपयोग यिका जा सके ।

(iv) क्रियात्मक जोत (Operational holding)—कृषि संगणन (1970-71) के अनुसार "क्रियात्मक जोत को उन सभी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो पूर्णत: या आंशिक रूप से कृषि/उत्पादन के काय्र में प्रयुक्त होती है और एक व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथी मलकर (स्वामित्व, कानीनी स्थिति, आकार एवं स्थानीयकरण को ध्यान में रखे बिना) एक तकनीकी इकाई के रूप में प्रस्तु होती है।" एक तकनीकी इकाई का आशय ऐसी इकाई से है, जो एक प्रबन्ध के अन्तर्गत हो और जिसक उत्पादन के साधन एक ही हो ।

(v) अधिकतम जोत (Maximum holding)--अधिकतम जोत से आशय भूमि के उस अधिकतम क्षेत्रफल से है, जिसको एक कृषक कानूनी रूप से अपने स्वामित्व मे रख सकता है। भारत में विभिन्न राज्यों में कानूनों द्वारा भिन्न-भिन्न अधिकतम क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं ।

2.5.3. भारत में कृषि जोतों का उप-विभाजन एवं अपखण्डन-

Scanned with CamScanner

भारत में कृषि जोतों के छोटा होने का प्रमुख कारण कृषि जोतों का उप-विभाजन और अपखण्डन है। उप-विभाजन और अपखण्डन ने खेतों को इतना छोटा कर दिया है कि इन जोतों की खेती को 'खिलौना खेती' (toy farming) और पॉकेट रूमाल खेती (Pocket handke rchief farming) का नाम दिया गया है। यहाँ हम उप-विभाजन और अपखण्डन के अर्थ या परिभाषा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके कारणों का।

2.6 उप-विभाजन एवं अपखंड़न से आशय

भूमि के उप-विभाजन से आशय भूस्वामी की भूमि का उत्तराधिकारियों में छोटे-छोटे भागों में बँटने से है तथा अपखंडन का आशय एक किसान की समस्त भूमि एक स्थान पर न होकर अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग-अलग स्थानों पर बिखरी हुई होती है। उप-विभाजन और अपखण्डन को एक उदाहरण द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। मान लिया जाय कि किसी व्यक्ति के पास 100 एकड़ जमीन है और उन्हें चार लड़के हैं। तो प्रत्येक लड़के को 25-25 एकड़ जमीन मिलेगी। इसे हम भूमि का उप-विभाजन कहेंगे। यदि उस व्यक्ति की भूमि के 100 एकड़ की भूमि चार टुकड़ों में अलग-अलग स्थानों पर है तो इसे हम भूमि का अपखण्डन कहेंगे। भारत में भूमि के उप-विभाजन और अपखण्डन की समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। अतः यहाँ यह आवश्यक है कि भूमि के उप-विभाजन और अपखंडन के कारणों का अध्ययन किया जाय ।

2.7 भारत में जमीन के उप-विभाजन और अपखण्डन के कारण

(1) कृषि पर जनसंख्या दबाव की भारत में वृद्धि (Increased pressure of population on agriculture)—भारत में भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है ।

हमारे देश में प्रति वर्ष एक करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है, परन्तु जमीन में वृद्धि नहीं होती है। इसी बढ़ी हुई जनसंख्या की आधी जनसंख्या कृषि कार्य में ही जग जाती है, जिसके फलस्रूप ज़मीन का बँटवारा होने लगता है । वाडिया एवं मर्चेण्ट का भी कहना है कि "खेतों के उप-विभाज़न तथा अपखण्डन का कारण भरत की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिसको कृषि के अतिरिकत अन्य उद्योगो से रोजगार दिलाना संभव नहीं है तथा जिसकी भूमि को प्राप्त करने की प्यास को शांत करना बहुत कठिन है।" भारत में सन् 1921 में प्रति व्यक्ति उपलब्ध कृषि योग्य भूमि का औसत 1.11 एकड़ था, जो सन् 1971 में घटकर 0.6 एकड़ रह गया ।

(2) उत्तराधिकार का नियम (Laws of inheritance)—उप-विभाजन और अपखण्डन का दूसरा महत्वपूर्ण कारण उत्तराधिकारी का नियम है। हमारे देश मे प्रचलित नियम है कि पिता की सम्पत्ति मे पुत्र का हिस्सा होगा । नये हिन्दू अधिनियम के अनुसार लड़कियों को भी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मिल गया है। इस उत्तराधिकार के नियम के फलस्वरूप जमीन का बँटवारा हो जाता है और वह जमीन खड-खंड में विभाजित हो जाती है ।

(3) संयुक्त परिवार प्रथा का ह्रास (Decline of joint family system)—भरत मे धीरे-धीरे संयुक्त परिवार प्रणाली का लोप होता जा रहा है। संयुक्त परिवार प्रणाली में तो जमीन का बँटवारा नहीं होता था। परन्तु जब संयुक्त परिवार का ह्रास होने लगा, तो जमीन भी बँटने लगी और उन जमीनों का उप-विभाजन और अपखंडन भी होने लगा।

Scanned with CamScanner

(4) कृषकों की ऋणग्रस्तता (Indebtedness of farmers)—भूमि के उप-विभाजन एवं अपखण्डन का एक कारण कृषकों की ऋणग्रस्तता है। भारतीय कृषकों का काम ऋण पर ही चलता है। ऋण जब कृषक द्वारा चुका नहीं जाता है तो इसके लि वह अपनी भूमि का ही एक भाग बेचकर ऋण चुकाता है। भूमि की बिक्री में भूमि के उप-विभाजन और अपखण्डन की प्रवृत्ति बढ़ती है ।

(5) भूमि के लगाव (Attachment of land)— भारत में लोगों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण उन्हें भूमि से मोह हो जाता है। इस मोह के चलते लोग जमीन पर खेती करें या न करें, परन्तु अपना हिस्सा लेने में पीछे नहीं रहते हैं। यह प्रवृत्ति जमीन को छोटे-छोटे टुकड़े में बाँट देती है ।

(6) हस्तशिलप और ग्रामोद्योग का पतन (Decline of handicrafts and village Industries)— भारत में भूमि के उप विभाजन और अपखण्डन के लिए हस्तशिलप ओर ग्रामोद्योग का पतन भी जिम्मेवार है। हमारे देश में जैसे जैसे हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग समाप्त होते गया, वैसे-वैसे इन उद्योगों मे काम करने वाले कारीगर खेती पर निर्भर होते गये और अपनी-अपनी जमीन बाँटते गये थे । इससे जमीन की जोतों का उप-विभाजन ओर अपखण्- होने लगा ।

Scanned with CamScanner